...भीम जिला–क... न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

फर्द अहकाम

दिनांक	
2/25	मु0न0:–107/22 उनवानः– श्रीमन बनाम लोहडे उभयपक्ष वकील की प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई। सायल वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि वर्णित आराजीयात कुल किता 12 कुल रकवा 3.63 है0 मे सायल 1/4 हिस्से का, गैरसायल न0 1 बहिस्सा 1/4 तथा गैरसायल बहिस्सा 1/2 अर्थात 3/4 हिस्से का खातेदार दर्ज रिकार्ड है। वर्णित आराजीयात साबिक कुल किता 10 कुल रकवा 14 बीघा 2 बिस्वा से बने है। सायल व गैरसायलान न0 1 एक ही बुजुर्ग की संताने है। बुजुर्ग रंगलाल के तीन पुत्र लोहडे, श्रीमन व रम्भू थे रम्भू की शादी अर्लीएज मे गई थी, उसके कोई संतान नही हुई शादी के उपरानत उम्र कम होने के कारण रम्भू की पत्नि अपने देवर श्रीमन जो कि अविवाहित था उसके नाते बैठ गयी जिनके श्रीमन से पाच पुत्रीया है। साबिक आराज मे सायल व गैरसायलान न0 1 के पिता का नाम रंगलाल व भाई का नाम रम्बू है लेकिन रम्भू के फौत हो जाने के बाद उनके हिस्से की आराजी सायल बहिस्सा 1/2 व गैरसायल न0 1 बहिस्सा 1/2 पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। वर्णित आराजी पूर्व मे रंगलाल पुत्र नत्था व रम्भू पुत्र रंगलाल के नाम खातेदारी मे दर्ज थी जो जमाबन्दी सम्वत 2024–27 से भली प्रकार से साबित है। लेकिन रम्भू के फौत हो जाने के पश्चात रम्भू की विरासत जरिये नामांतकरण न0 40 दिनांक 15.09.1970 से अपने नाम खुलवा दिलया उसी के मुताबिक आज तक खातेदारी मे गैरसायल न0 1 का नाम चला आ रहा है क्योकि रम्भू के दो भाई सायल व प्रतिवादी न0 1 है। तथा रम्भू की विरासत दोनो के नाम खुलनी चाहिये थी इस प्रकार उक्त नामांतकरण नल एण्ड बोईड है। सायल, रम्भू की आराजी मे 1/2 की खातेदारी अपने नाम कराने का अधिकारी है। अतः दिनांक 30.08.2022 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को ता दावा फैसला कन्फर्म किया जावे। गैरसायल वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि सायलान द्वारा एकदम गलत तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत की है जो चलने योग्य नही है, वर्णित आराजीयात कुल किता 12 कुल रकवा 3.63 है0 मे सायल हिस्सा 1/4, तथा गैरसायल न0 1 लोहडे हिस्सा 1/4, एवं हिस्सा 1/2 है। सायल व गैरसायल न0 1 ने दिनांक 09.09.2011 को अपने–अपने हिस्से की आराजी को गैरसायल न0 2 के यहा रहन रखकर के.सी.सी. लिया था इस प्रकार गैरसायल न0 1 के हिससे मे दर्ज आराजी हिस्सा 1/4, 1/2 पूर्व से ही सायल की जानकारी मे है। सायल एवं गैरसायल द्वारा बैक ऋण को चुकता किये बिना अस्थाई निषेधाज्ञा सायल डिक्री नही किया जा सकता है। अतः सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे। उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल जमाबन्दी का अवलोकन किया। पत्रावली मे शामिल ग्राम माचडी की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 के खाता न0 खाता न0 330 मे कुल किता 12 कुल रकवा 3.63 है0 मे सायल श्रीमन पुत्र रंगलाल 1/4 हिस्से का गैरसायल न0 1 लोहडे पुत्र रंगलाल हिस्सा 1/4 व 1/2 कुल हिस्सा 3/4 का खातेदार दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली मे शामिल जमाबन्दी सम्वत 2045 वर्णित आराजीयात के साबिक खसरा नम्बरान मे रंगलाल पुत्र नत्थ्या हिस्सा 1/2, लोहडया पुत्र रंगलाल हिस्सा 1/2 के खातेदार दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली मे शामिल नामांतकरण न0 40 दिनांक 15.09.1970 मे लगे नोट अनुसार रम्भू के फौत हो जाने पर उसकी विरासत लोहडया पुत्र रंगलाल के नाम खातेदारी स्वीकार होना दशार्या है। सायल द्वारा प्रस्तुत वादपत्र घोषणा खातेदारी का पेश किया है। जिसमे यह तय किया जाना है कि रम्भू पुत्र रंगलाल के हिस्से की आराजी का वारिस कौन है। इसलिये सायल के पक्ष मे अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की गई, तो प्रार्थना पत्र का उद्देश्य की असफल हो जायेगा। इसलिये प्रार्थना पत्र की आकस्मिकता को देखते हुए स... निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अर्थात न्यायाल... जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 30.08.2022 को ... जाता है। आदेश अतः गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात ग्राम माचडी के ...0 333/0.11, 412/0.14, 586/0.10, 596/0.45, 624/0.54, 625/0.54, 626/0.02, 630/0.49, 631/0.07, 632/0.51, 633/0.51, 644/0.15 कुल किता 12 कुल रकवा 3.63 है0 मे रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। निर्णय आज दिनांक 20.01.2025 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:09:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner